



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928



संख्या 1161-काविनी एवं वेप्रो-29/पाकालि/2018-5-काविनी/16(टी0सी0-3) दिनांक 26 अक्टूबर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विषय :- सातवें वेतन आयोग (दि० 01.01.2016 से लागू) की पुनरीक्षित वेतन संरचना में नगर प्रतिकर भत्ता की दरों में संशोधन।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसकी वितरण निगमों तथा केस्को के कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग (दि० 01.01.2016 से लागू) की पुनरीक्षित वेतन संरचना में संशोधित दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराये जाने विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 4/2018/जी-1-103-दस-2018-227-2008 दिनांक 18.07.2018 को अंगीकृत करते हुए कारपोरेशन की अपनी पुनरीक्षित वेतन संरचना के सापेक्ष अनुमन्य वेतन मैट्रिक्स लेवल के आधार पर निम्न तालिका में दिये गये विवरणानुसार, उल्लिखित दरों पर दिनांक 01.07.2018 से संशोधित दर से नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

वेतन मैट्रिक्स लेवल	नगर प्रतिकर भत्ते की दरें (रूपया)			
	कानपुर, लखनऊ, नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र)	वाराणसी, मेरठ, आगरा तथा इलाहाबाद (नगरीय क्षेत्र)	बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ (नगरीय क्षेत्र)	शेष जिला मुख्यालय तथा अन्य नगर जिनकी आबादी एक लाख या उससे अधिक है (नगरीय क्षेत्र)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 से 5	480	360	240	160
6 से 8 तक	720	540	360	240
9 एवं इससे ऊपर के लेवल	900	720	600	400

2. पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवल का तात्पर्य पूर्व वेतन-बैंड/वेतनमान में अनुमन्य ग्रेड-वेतन/वेतनमान के सादृश्य मैट्रिक्स लेवल से है।

3. अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

सं० 1161-(1)-काविनी एवं वेप्रो-29/पाकालि/18 तददिनांक।

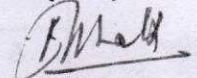
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
- 4- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।

(क्रमशः..... 2)

- 5- प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
- 6- समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 9- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 11- महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 13- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 14- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 15- अनु सचिव (सचि०प्रशा०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 16- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 17- सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 18- समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० मुख्यालय, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 19- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल द्वारा परिचालन विधि से दिनांक 26.10.2018 को पारित किये गये निर्णय के अनुपालन में।
- 20- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं० 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,



(राकेश भट्ट)

अनु सचिव (काविनी)

38